निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)
प्रकरण संख्या 16/2021 (रसद अपील)

कन्हैयालाल पुत्र श्री भगवान सहाय प्राधिकृत विकेता उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत बस्सी, नागान उपखण्ड सांभर लेक, जिला, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (ए) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश व निर्णय दिनांक 15.04.2021 जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 306/2018 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत बस्सी नागान का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त करने का आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री के॰ डी॰ शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 23.11.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (ए) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश व निर्णय दिनांक 15.04.2021 जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 306/2018 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत बस्सी नागान का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त करने का आदेश पारित किया गया। से व्यथित हो कर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया । प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत बस्सी नगाान उपखण्ड सांभर लेक का प्राधिकारधारक है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद्पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र संख्या 68/2012 मिला हुआ है, अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों

तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियो के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण राशनकार्ड धारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। दिनांक 18.05.2018 को श्री राजेश बंसल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा ग्राम पंचायत बस्सी नागान में आयोजित राजस्व कैम्प में अपीलार्थी की अनुपस्थिति में क्रमशः (1) चन्दालाल, (2) कालूराम यादव (3) गणपत लाल यादव से पूछताछ कर उनके कथन लिये जाकर अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.05.2018 को जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के यहां प्रस्तुत की। जिला रसद अधिकारी ने इकतरफा आदेश दिनांक 30.07.2018 के द्वारा अपीलार्थी की उक्त उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक निलम्बित करने तथा दिनांक 10.08.2018 की उपस्थिति के लिए अपीलार्थी को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया जिसमें चन्दालाल, कालूराम एवं गणपत को गेहूं व केरोसीन तेल के वितरण मे अनियमितता बतलाई गई। दिनांक 29.08.2018 को अपीलार्थी ने उक्त कारण बताओं नोटिस दिनांक 30.07.2018 के सम्बन्ध में अपना प्रति उत्तर एवं लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें अपीलार्थी के विरूद्व बतलाई गई अनियमितताओ के सम्बन्ध में, उन्हें गलत बतला कर अपीलार्थी ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। दिनांक 29.08.2018 को प्रस्तुत उक्त जबाब के समर्थन में अपीलार्थी स्वयं ने अपना शपथ पत्र तथा उपभोक्ता–(1) गणपत लाल, (2) मूलचन्द, (3) कालूराम, (4) चन्दालाल एवं 5 सांवर मल ने अपने अलग अलग आवेदन पत्र जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के यहां प्रस्तुत किये जिसमें अपीलार्थी पर लगाये गये आरोंपों को गलत बतलाया गया। दिनांक 29.08.2018 के बाद जिला रसद अधिकारी ने उक्त मामले में निर्णय तक कोई जाचं नही की। दिनांक 07.04.2021 को श्री जयराम गुर्जर प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी समीक्षात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व दिनांक 30.07.2018 को कार्यवाही संस्थित की गई तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया, यद्यपि श्री राजेश बंसल प्रवर्तन निरीक्षक की इकतरफा रिर्पोट थी, लेकिन जिला रसद अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस के साथ प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट जिसके आधार पर उक्त कार्यवाही संस्थित की गई। जांच रिपोर्ट की प्रतियां अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था । जैसा कि 2008 (2) ई एफ आर 298 राजपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी में निर्णित किया है। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.05.2018 के साथ (1) चन्दर लाल (2) कालूराम एवं (3) गणपत के कथन व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये लेकिन जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी को उक्त गवाहन के कथनों व अन्य दस्तावेजात की प्रतियां नोटिस के साथ नहीं दी जिससे अपीलार्थी उक्त गवाहन से प्रतिपरीक्षण नहीं कर सका। जिला रसद अधिकारी का निर्णय पूर्ण रूप से अवैद्य होने से निरस्तनीय है। जैसा कि 2012(3) ई एफ आर 463 सभा पति पाण्डे बनाम स्टेट ऑफ यूपी में निर्णित किया है। जिला रसद अधिकारी ने प्रवर्तन निरीक्षक से समीक्षात्मक रिपोर्ट तलब की, लेकिन समीक्षात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने का कोई प्रावधान न तो उक्त आदेश 1976 में है ओर न ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान है। जिला रसद अधिकारी को स्वयं मामले में जॉच करनी चाहिये थी। समीक्षात्मक रिपार्ट मंगवाने का कोई प्रावधान नही है इसके उपरान्त भी जिला रसद अधिकारी ने उक्त समीक्षात्मक रिपोर्ट की कोई प्रति निर्णय से पूर्व अपीलार्थी को मुहैया नहीं करवाई जो कि आवश्यक थी। जैसा कि ए आई

आर 2009 (एन ओ सी) 1259 (कलकत्ता) सुधेन्दु कुमार हाजरा बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। जिला रसद अधिकारी ने न तो उक्त मामले में प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट तथा उनके द्वारा लिये गये कथन व प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रतियां अपीलार्थी को मुहैया करवाई एवं न ही प्रवर्तन निरीक्षक को साक्ष्य में बुलाया और न मामले में कोई जांच की और ना अपीलार्थी को विस्तृत रूप से सुना गया व अपीलार्थी के जवाब व दस्तावेजात का भी जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय में न तो विवेचित किया और न ही गलत मानने का कोई आधार ही बतलाया, जिससे सम्पूर्ण कार्यवाही अवैद्य होने से निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने आलोच्य निर्णय में कथन किया है कि (1). कालू राम यादव (2) चन्दालाल द्वारा पूछताछ के समय जो हस्ताक्षर किये तथा जिला रसद अधिकारी के समक्ष जो प्रार्थना पत्र उक्त गवाहों के द्वारा प्रस्तुत किये गये के मिलान करने पर उनके हस्ताक्षरों में अन्तर पाया गया । जिला रसद अधिकारी शिकायतकर्ताओं के हस्ताक्षरों में कोई भिन्नता देखते है तो उक्त शिकायतकर्ता को स्वयं बुला कर उनकी साक्ष्य लेनी चाहिये थी । बिना परीक्षण किये उक्त कयास लगाना विधि सम्मत नहीं है। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक की समीक्षात्मक रिपोर्ट दिनांक 7.04.2021 में शिकायत कर्ताओं द्वारा गेंहू आदि वस्तुए प्राप्त करना स्वीकार किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी ने बिना समीक्षात्मक रिपोर्ट को पढे जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह अवैद्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जिला रसद अधिकारी ने अपने आलोच्य आदेश में अपीलार्थी के विरूद्व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश प्रवर्तन निरीक्षक को दिये है, लेकिन जिला रसद अधिकारी द्वारा अधिनियम 1955 की धारा 7 (1) (क) (1) के तहत कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध के समय से एक वर्ष की अवधि के बाद दर्ज नहीं कराई जा सकती है। जिला रसद अध्किारी ने जो कारण बताओं नोटिस अपीलार्थी को जारी किया और जो निर्णय मामले में पारित किया उसमें यह कहीं दर्शित नहीं किया कि अपीलार्थी द्वारा आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की किस शर्त का और किस प्रकार अपीलार्थी द्वारा उल्लंघन किया गया। जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय में कारण बताओ नोटिस व जबाव को ज्यों का त्यों लिख दिया, लेकिन ना तो विवेचित किया और ना ही पोस मशीन की रिपोर्ट को देखा और ना अपीलार्थी को सुना जिससे अपीलाधीन आदेश इकतरफा व अवैद्य होने से निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 15.04.2021 का है तथा कोरोना काल के कारण निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने में देरी हुई। यद्वपि जिला रसद अधिकारी को निर्णय की प्रति भेजनी चाहिये थी। निर्णय की प्रति प्राप्त होने से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित आदेश व निर्णय दिनांक 15.04.2021 अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र व प्रतिभूति राशि बहाल की जावे।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की डीलर द्वारा शिकायतकर्ता श्री कालूराम यादव एवं श्री चन्दालाल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें डीलर से राशन सामग्री प्राप्त कर ली है। उक्त प्रार्थना पत्र में शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर को वक्त जांच प्रस्तुत किये गये फर्द पूछताछ पर अंकित हस्ताक्षर से मिलाने पर हस्ताक्षर अलग पाये गये। जिससे यह प्रतीत होता है कि डीलर द्वारा शिकायतकर्ताओं के नाम से फर्जी प्रार्थना पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। पूर्व में भी

प्रकरण संख्या 26 / 2017 में आरोपित डीलर की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करने पर डीलर द्वारा स्वयं दुकान का संचालन करना नहीं पाया गया एवं स्टाक सूचना सूची नहीं पाई गई। डीलर के द्वारा उपभोक्ता श्री गोपीराम के राशनकार्ड संख्या 0079007XXXX ए पी एल पर माह सितम्बर 2016 से माह जनवरी 2017 की अवधि में पोस मशीन से कुल 180 किलोग्राम गेहूं का वितरण किया गया जबकि उपभोक्ता के द्वारा उक्त गेहूं प्राप्त नहीं होना पाया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि आरोपित राशन डीलर द्वारा आवटन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड का दुरूपयोग कर गेहूं एवं अन्य राशन सामग्री का दुरूपयोग किया जाता है डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरित करने के बाद उनके राशनकार्ड में एन्ट्री नहीं की जाती है। इस प्रकार राशन डीलर द्वारा अपने वितरण कार्य में गम्भीर किस्म की अनियमितताएं कर अपीलार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर अपीलार्थी डीलर की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी पर उपभोक्ता श्री पन्नालाल ए पी एल राशन कार्ड संख्या 00790010X404 के राशन कार्ड पर माह दिसम्बर 2016 से मई 2018 की अवधि में पोस मशीन में अंगूठा लगा कर राशन सामग्री न दी जाकर कुल 106 किलोग्राम गेहूं एवं 25 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग एवं उपभोक्ता कालूराम यादव ए पी एल राशन कार्ड संख्या 00790010X458 के राशन कार्ड पर माह अक्टूबर 2016 से मई 2018 की अवधि में 100 किलोग्राम गेहूं का दुरूपयोग किया जाना एवं उपभोक्ता गणपत लाल राशन कार्ड संख्या 00790010X407 के राशन कार्ड पर माह अक्टूबर 2016 से मई 2018 की अवधि कुल 200 किलोग्राम गेहूं एवं 26.5 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग किया जाने का आरोप है। इस प्रकार डीलर द्वारा 406 किग्रा गेहूं एवं 51.5 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग किये जाने का आरोप है। जिसके लिए अपीलार्थी ने उपभोक्ता को राशन प्राप्त होते ही उसके मोबाईल में मैसेज आना तथा उपभोक्ताओं द्वारा कभी केरोसीन व गेहूं प्राप्त नहीं होने की शिकायत नहीं करना तथा कई बार भीड़ भाड़ होने के कारण राशनकार्ड में एन्ट्री होने से रह जाना बताया है और साथ यह भी कथन किया है कि अब राशन सामग्री पोस मशीन से वितरण किये जाने पर उपभोक्ताओं के मोबाईल नम्बर पर ओ टी पी आने से राशनकार्ड में प्रविष्टी करना आवश्यक नहीं है, परन्तु राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 की निबंधन एवं शर्त संख्या 18 में इस प्रकार है कि " प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार राशनकार्ड धारक द्वारा खरीदे गये खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की मात्रा ऐसी खरीद की तारीख के साथ राशनकार्ड में निर्धारित स्थान पर अभिलिखित करेगा । यह शर्त पोस मशीन आने के बाद भी यथावत है। इसलिए पक्षों के तर्को को बल नहीं मिलता है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। उचित मूल्य दुकान धारक को राशन कार्ड में सामग्री की प्रविष्टि करना आवश्यक है। अपीलार्थी डीलर द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में प्रविष्टी नहीं की गई है। हम पैरोकार राज्य के तर्को से सहमत है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

9. निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को सरे इजलास सुना गया ।

23/11/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर